रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2008/पौष 9, 1930

No. 458] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2008/PAUSA 9, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2008

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय : इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित कैथोड रे रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/15/2008-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए ।

2. चूंकि मै. सेमटेल कलर लि.(जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने इंडोनेशिया के मूल की या वहां से निर्यातित पूर्ण या अपूर्ण कैथोड रे रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के पाटन का आरोप लगाते हुए वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

3. और चूंकि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पर्याप्तत: और यथातथ्यत: के बारे में उसकी जांच करने के बाद आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने की जरूरत का निर्धारण करने, जिसे यदि वसूल किया जाता है, तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर्याप्तत: समाप्त हो जाएगी, नियमावली के उप-नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देश

के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 15 सितंबर, 2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

प्रक्रिया

4. प्रधिकारी द्वारा इस जांच के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है ।

(i) प्रधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व आवेदकों द्वारा किए गए पाटन संबंधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया;

(ii) प्रधिकारी ने 15 सितंबर, 2008 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत में संबद्ध देश के दूतावास, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातक, आयातकों और घरेलू उद्योग को भेजीं और उनसे जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया ।

(iii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 के अनुसार ज्ञात निर्यातक तथा इंडोनेशिया के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां उपलब्ध कराईं ।

(iv) नियम 6 के अनुसार भारत में इंडोनेशिया के दूतावास को इस अनुरोध के साथ जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था कि वह निर्धारित अवधि के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातक/उत्पादकों को सलाह दें । निर्यातक/उत्पादक को भेजे गए पत्रों और प्रश्नावली की प्रति निर्यातक के नाम और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी ।

(v) नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातक को प्रश्नावली भेजी;

पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडोनेशिया
कावासान इंडस्ट्री एमएम 2100 ब्लॉक जी सीबीतुंग
बेकासी बेकासी 11111

(vi) निम्नलिखित निर्यातक/उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली तथा जांच शुरूआत संबंधी सूचना का उचित ढंग से उत्तर दिया है :

पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडोनेशिया
कावासान इंडस्ट्री एमएम 2100 ब्लॉक जी सिकारंग बारात-बेकासी 17520

निर्यातक ने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार का अनुरोध किया जो उन्हें प्रदान कर दिया गया था ।

(vii) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं ।

क) डिक्सन यूटीलीटीज एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड
बी-14, फेस II, नोएडा - 201305 (उ.प्र.)

ख) एल जी इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया प्रा.लि.
प्लॉट नं. 51, उद्योग विहार,
सूरजपुर-कसाना रोड,
ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)

ग) पेनासोनिक एवीसी नेटवर्क्स इंडिया कं. लि.
सी-52, फेस- II,
नोएडा- 201305 (उ.प्र.)

घ) मिर्क इलेक्ट्रोलिक्स लिमिटेड
ऑनिडा हाउस, जी-1, मिड्क,
महाकाली गुफा रोड,
अंधेरी (ईस्ट)
मुंबई - 400093

ङ) सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रोलिक्स प्रा. लिमिटेड
B-1, सेक्टर-81,
फेस- II,
नोएडा- 201305 (उ.प्र.)

च) वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि.
14 किमी. स्टोन,
औरंगाबाद-पैठान रोड, चित्तेगांव,
तालुक- पेठान,
जिला- औरंगाबाद - 431105

छ) फिलिप्स इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया लि.
प्लॉट 80, भोसारी इंडस्ट्रियल इस्टेट,
पो.बा.12,
पुणे- 411026

ix) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में मै. सीईएमए तथा एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया लि. ने अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार का अनुरोध किया जिसे 30-11-2008 तक बढ़ा दिया गया था । आयातकों में से मिर्क इलेक्ट्रोनिक्स लि. तथा पेनासोनिक एबीसी नेटवर्क्स इंडिया कं. लि. ने अपने उत्तर दायर किए हैं । तथापि, एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लि. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

(x) पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था ;

(xi) प्रधिकारी ने हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा;

(xii) सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की इष्टतम लागत तथा उसे बनाने और बेचने की लागत निकाली गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा । इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग को किसी प्रेक्टिस कर रहे लागत लेखाकार द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अपनी उत्पादन लागत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ।

(xiii) *** यह चिन्ह इस अधिसूचना में आवेदक द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है;

(xiv) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जुलाई, 2007 से 30 जून, 2008 तक (12 माह) की है । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 1 अप्रैल, 2005 से जांच अवधि की समाप्ति तक की अवधि शामिल है ।

(xv) पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच के लिए संगत समझी गई सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के आयातकों/औद्योगिक प्रयोक्ताओं को अवसर प्रदान किया ।

(xvi) प्राधिकारी ने इस स्तर पर आवश्यक समझी गई सीमा तक हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रदत्त सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया ।

विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

5. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद **"पूर्ण अथवा अपूर्ण कैथोड रे रंगीन पिक्चर ट्यूबें जैसे कि निर्वात अथवा वाष्प अथवा गैस से भरे वॉल्व एवं ट्यूबें, मरक्यूरी आर्क रेक्टिफाइंग वॉल्व एवं ट्यूबें जिन्हें कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है, टेलिविजन कैमरा ट्यूबें अथवा कैथोड रे रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब या रंगीन पिक्चर ट्यूब इत्यादि के नाम से जाना जाता है"** और इस अधिसूचना में उन्हें रंगीन पिक्चर ट्यूबें अथवा **"सीपीटी"** एवं **"सीआरटी"** कहा गया है। विडियो एवं कम्प्यूटर मॉनीटर कैथोड रे ट्यूबें वर्तमान याचिका के दायरे से बाहर हैं ।

6. संबद्ध उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत उपशीर्ष सं. 8540.11 के तहत आता है । यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु इंडोनेशिया के मूल की या वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है । आयातित उत्पाद का उपयोग उपभोक्ताओं की समान श्रेणी द्वारा भी किया जाता है । इस उत्पाद में वही मूलभूत तकनीकी गुणधर्म हैं और इसके कार्य तथा उपयोग एक समान हैं ।

घरेलू उद्योग

8. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा ।

9. यह आवेदन सैमटेल कलर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराई है । संबद्ध वस्तु का उत्पादन जेसीटी, हॉटलाइन तथा बीपीएल डिस्प्ले डिवाइसेस लि. द्वारा भी किया जाता है । मै. हॉट लाइन तथा बीपीएल ने जांच अवधि की अंतिम तिमाही के दौरान अपना उत्पादन बंद कर दिया था ।

10. विस्तृत प्रारंभिक जांच के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि (क) सैमटेल कलर लिमिटेड का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है (ख) याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक बनता है (ग) आवेदन का 50% से अधिक भारतीय उत्पादन द्वारा समर्थन किया गया है (घ) यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी

ओर से किया गया था । इसके अलावा वर्तमान जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ सैमटेल कलर लिमिटेड नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

सामान्य मूल्य

पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य

11. इंडोनशिया के निर्यातक मै. पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स ने निर्यातक प्रश्नावली की अपेक्षाओं के अनुसार उत्तर दिया । निर्यातक को इन अनुरोधों पर कुछ प्रश्नों के बारे में सूचित किया गया था । सामान्य मूल्य निकालने के लिए कंपनी के तद्नुरूपी आकार की घरेलू बिक्री की व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान की गई बिक्री से संबंधित जांच (ओसीटी) उत्पादन की संबंधित लागत की तुलना करने के बाद की गई थी । इस आधार पर निर्यातित आकारों के संबंध में सामान्य मूल्य निकाला गया है । भारत को निर्यातित 3 आकारों में से एक आकार के संबंध में सामान्य मूल्य घरेलू बाजार में की गई कुल बिक्री पर आधारित किया गया है, दूसरे आकार को घरेलू बाजार में लागत+उचित लाभ पर आधारित किया गया है और तीसरे को घरेलू बाजार में लाभकारी बिक्री पर आधारित किया गया है ।

12. चूंकि सामान्य मूल्य देश विशिष्ट होता है, इसलिए सहयोगी निर्यातक मै. पीटी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडोनेशिया के संबंध में निकाले गए सामान्य मूल्य को अवशिष्ट श्रेणी के लिए भी अपनाया गया है ।

निर्यात कीमत:

पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत

13. यह देखा गया था कि कुछेक निर्यात सौदे एफओबी तथा डीडीयू आधार पर किए गए थे । इन्हें समुद्री भाड़े के लिए किए गए व्यय को समायोजित कर सीआईएफ में परिवर्तित किया गया है । दावा किए गए अनुसार निर्यात कीमत में से अन्य अलग-अलग समायोजनों (सत्यापन के अधीन) की अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है ।

14. सहयोगी निर्यातक को दी गई अनुमति के अनुरूप समायोजनों की अनुमति देने के बाद अवशिष्ट श्रेणी के संबंध में निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु सहयोगी निर्यातक के बारे में न्यूनतम निर्यात कीमत पर विचार किया गया है ।

पाटन मार्जिन

15. प्राधिकारी ने प्रत्येक आकार के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य तथा कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत, दोनों का निर्धारण किया है । संबद्ध मात्रा पर विचार करते हुए संचयी पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है । इस प्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि की गई तुलना

उचित तुलना है । उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन का अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार बनता है:-

पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडोनेशिया

कंपनी कोड	***	***	***	***	***	***	कुल
माप	14 सीवी	20 सीवी	21 एसयूएस	21 आरएफ	21 आरएफ	21 यूएस	
मात्रा (नग)	***	***	***	***	***	***	***
सामान्य मूल्य (अम.डॉ.)	***	***	***	***	***	***	
निवल निर्यात कीमत (अम.डॉ.)	***	***	***	***	***	***	
पाटन मार्जिन (अम.डॉ.)	***	***	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन%	20-25	25-30	1-5	10-15	5-10	ऋणात्मक	8-13

क्षति निर्धारण और कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु कार्य प्रणाली

घरेलू उद्योग के विचार

16. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

(क) विदेशी उत्पादकों ने क्षति अवधि के दौरान अपनी कीमतों में लगातार कमी जारी रखी ;

(ख) इंडोनेशियाई उत्पादक पूर्ववर्ती जांच अवधि के समय प्रचलित कीमतों से कम कीमतों की पेशकश कर अन्य विदेशी उत्पादकों में शामिल हो गया;

(ग) समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को लगातार अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य किया गया है;

(घ) यद्यपि इंडोनशिया से आयात हाल ही में शुरू हुए हैं तथापि, प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान इनकी मात्रा काफी अधिक थी ;

(ङ) आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कमी आ रही है ;

(च) अत्यधिक कीमत ह्रास के कारण अंशदान मार्जिन में तेजी से गिरावट आई ;

(छ) कीमतह्रास और उसके परिणामस्वरूप अंशदान में आई गिरावट के कारण लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति अत्यंत खराब हो गई । घरेलू उद्योग को भारी वितीय घाटा हुआ और निवेश पर आय ऋणात्मक रही;

(ज) पाटन का इतना गंभीर प्रभाव पड़ा है कि कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब हो गई;

(झ) आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में भी वद्धि हुई है;

(ट) यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2006-07 तक वृद्धि हुई, तथापि प्रस्तावित जांच अवधि में उसमें गिरावट आई ;

(ठ) यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है, तथापि, यह वृद्धि मांग में हुई वृद्धि से काफी कम रही है जबकि घरेलू उद्योग के पास अनप्रयुक्त क्षमताएं पड़ी हुई हैं;

(ड) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है;

(ढ) घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2006-07 तक बढ़ा है और तत्पश्चात उसमें उक्त अवधि में हुए आयातों में पर्याप्त वृद्धि के कारण तेजी से गिरावट आई है ।

17. इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को अत्यधिक वास्तविक क्षति हो रही है । वर्तमान अवधि के दौरान निष्पादन में आई गिरावट काफी अधिक और वास्तविक है ।

18. विभिन्न क्षति मापदंडों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को अत्यधिक वास्तविक क्षति हो रही है । वर्तमान अवधि के दौरान निष्पादन में आई गिरावट काफी अधिक और वास्तविक है । आयातों में वृद्धि के बारे में यह बताया गया है कि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप नहीं बढ़ सका । इसके विपरीत यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है । इसके अलावा प्रस्तावित जांच अवधि में बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट के बारे में यह दावा किया गया है कि इससे उत्पादन क्षमताओं का काफी कम प्रयोग हुआ है । यह दावा किया गया है कि आयात कीमत में गिरावट की वजह से घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ जिससे लाभ मार्जिन में भारी कमी आई तथा लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रवाह की स्थिति खराब हुई ।

अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार

19. घरेलू उद्योग के अलावा, किसी हितबद्ध पार्टी ने कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया है

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियम के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और ; (ख) पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादो के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या आयातों में समग्र रूप में अथवा आयातक सदस्य में उत्पादक या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा आयातक देश में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

21. क्षति जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के प्रभाव तथा उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, कीमत और लाभप्रदता के प्रभाव की संचयी जांच की है ताकि क्षति एवं पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके ।

22. चूंकि संबद्ध देश से निर्यातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन की पुष्टि हुई है इसलिए क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश के समस्त निर्यातों को पाटित आयात माना गया है ।

मात्रात्मक प्रभाव:

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

23. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस से सौदेवार आयात सूचना प्राप्त की है। प्रतिवादी निर्यातक, आयातकों/उपभोक्ताओं द्वारा प्रदत्त सूचना तथा डीजीसीआईएंडएस की सूचना और याचिका में उल्लिखित सूचना का मिलान किया गया था और स्थिति निम्नानुसार है :-

नग

विवरण	जांच अवधि
इंडोनेशिया के निर्यातक के उत्तर के अनुसार	***
आयातकों के उत्तर के अनुसार	

मिर्क इंडिया	***
पेनासोनिक	***
आयातकों के उत्तर के अनुसार कुल	***
याचिका के अनुसार	***

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित आयातों की वास्तविक मात्रा आयातकों अथवा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में सूचित आयातों की मात्रा से काफी अधिक है । डीजीसीआई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भी वित्त वर्ष 2007-08 के लिए है जिसमें अप्रैल से जून, 2008, जो जांच अवधि का भाग है, की अवधि के लिए आयात के आंकड़े नहीं दिए गए हैं । अत: प्राधिकारी ने मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रतिवादी निर्यातक द्वारा सूचित आयातों के आंकड़ों पर विचार किया है ।

आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

25. संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	जुलाई 07 से जून 08
आयात मात्रा (000 नग में)				
संबद्ध देश	***	***	***	***
अन्य देश	***	***	***	***
कुल आयात	***	***	***	***
आयातों में बाजार हिस्सा (%)				
संबद्ध देश	0.37	0.92	2.93	9.17
अन्य देश	99.61	99.06	97.07	90.83
उत्पादन	***	***	***	***
उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	0.16	0.46	3.24	10.89

26. प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि इस अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप में, भारत में आयातों के संबंध में तथा भारत में उत्पादन के संबंध में पर्याप्त वृद्धि हुई है । साथ ही साथ अन्य देशों से हुए आयातों में गिरावट आई है ।

मांग एवं बाजार हिस्सा

27. वर्तमान याचिका के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता ने देश में उत्पाद की मांग या खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और समस्त स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में परिभाषित

किया है । यह देखा जा सकेगा कि देश में उत्पाद की मांग में वर्तमान अवधि में सकारात्मक वृद्धि हुई है ।

000 नग में

	2005-06	2006-07	2007-08	जुलाई 07 से जून 08
भारत में मांग	10,671	12,481	16728	17432
घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	149	157	161
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	78	79	83
संबद्ध देश से आयात	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	344	2356	7722
अन्य देशों से आयात	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	142	302	296
भारत में कुल मांग	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	142	309	324
बाजार हिस्सा %				
घरेलू उद्योग	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	127	100	99
अन्य भारतीय उत्पादक	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	67	50	51
संबद्ध देश	***	***	***	***
	100	300	1588	4988
अन्य देश	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	121	192	181
घरेलू उत्पादकों का कुल हिस्सा	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	94	73	72

28. प्रधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में आधार वर्ष से जांच अवधि तक वृद्धि होती रही है । क्षति अवधि में इसमें लगभग 63% की वृद्धि हुई है ।

29. प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संगत अवधि के दौरान पाटित आयातों के बाजार हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जिससे प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव का पता चलता है ।

घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री मात्रा तथा क्षमता उपयोग

30. स्थिति निम्नानुसार है:

000 नग में

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	जुलाई 07 से जून08
क्षमता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	139	157	157
उत्पादन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	123	121	118
क्षमता उपयोग%	***	***	***	***
बिक्री *	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	126	120	119
मांग	10,671	12,481	16,728	17,432

*बिक्री में मै. सैमटेल के लिए घरेलू तथा निर्यात बिक्री शामिल है ।

31. यह नोट किया जाता है कि मांग में उत्तर के प्रतिक्रियास्वरूप घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई है । यद्यपि क्षमता में *** लाख नग की वृद्धि हुई तथापि, उत्पादन में केवल *** लाख नगों की वृद्धि हुई जबकि मांग में *** लाख नग की वृद्धि हुई । घरेलू उद्योग को देश में मौजूद मांग के बावजूद क्षमता उपयोग में कमी करनी पड़ी ।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

32. नियम 18 के उपनियम (2) में किए गए उल्लेख के अनुसार जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

33. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर पड़े प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संबंध मे की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन

लागत, भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) तथा क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच लागत के साथ की गई है ।

विचाराधीन अवधि के दौरान कीमत का मूल्यांकन

34. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयात कीमतों की प्रवृत्ति की जांच प्रत्येक आकार के लिए अलग-अलग और संबद्ध देश के लिए संचयी रूप से की है । संगत सूचना नीचे दर्शायी गई है :

रू. प्रति नग.

सीआईएफ निर्यात कीमत	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि	कीमत में गिरावट
14"		***	***	***	38%
15"					
20"		***	***	***	25%
21"	***	***	***	***	11%
21" फ्लेट	***	***	***	***	36%
21" स्लीम			***	***	23%
29"	***		***		

35. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की सीआईएफ आयात कीमत में गिरावट आई है । कीमत में यह गिरावट 11% से 38% तक रही है । उच्च मात्रा वाले प्रकार (14" तथा 21" फ्लेट) के संबंध में कीमत में क्रमश: 36% तक गिरावट आई है ।

36. प्रधिकारी ने यह जांच की है कि क्या कीमत में उपर्युक्त गिरावट को उत्पादन लागत में आई गिरावट से जोड़ा जा सकता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि निर्यातक ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, तथापि घरेलू उद्योग ने समूची अवधि के लिए सूचना उपलब्ध कराई है । यह नोट किया जाता है कि यद्यपि उत्पादन लागत में गिरावट आई है, तथापि उपर्युक्त गिरावट उत्पादन लागत में आई गिरावट से अधिक रही है ।

कीमत कटौती

37. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने निर्यातक तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जांच की । इस प्रयोजनार्थ सीपीटी के प्रत्येक प्रकार की तुलना अलग से की गई है । प्रत्येक प्रकार के लिए कीमत कटौती और उसके बाद सीपीटी के लिए भारित औसत का समग्र निर्धारण किया गया है जो *** नग की मात्रा पर *** रूपए प्रति नग बनता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती 7-12% है ।

38. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है जिसका कारण आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट है ।

पाटित आयातों का कीमत ह्रासकारी तथा न्यूनकारी प्रभाव:

39. इस बात की जांच करने के लिए कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास या उनमें न्यूनीकरण हो रहा है, प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की लागत और बिक्री कीमत में रूझानों की जांच की है । संगत स्थिति निम्नानुसार है :-

भारतीय रूपए

	2005-06	2006-07	2007-08	जुलाई, 07 से जून,08
कच्चा सामग्री लागत				
➢ 14"	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	97	95	96
➢ 15"		***	***	***
➢ सूचीबद्ध		100	96	96
➢ 20"	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	99	100	100
➢ 21" पारंपरिक	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	96	113	112
➢ 21" फ्लेट	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	88	84	84
➢ 29"		***	***	***
➢ सूचीबद्ध		100	107	111
बिक्री कीमत				
➢ 14"	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	87	76	77
➢ 15"		***	***	***
➢ सूचीबद्ध		100	85	85
➢ 20"	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	90	84	85
➢ 21" पारंपरिक	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	89	82	85
➢ 21" फ्लेट	***	***	***	***
➢ सूचीबद्ध	100	79	72	74

➢ 29" आयातों की पहुंच कीमत ➢ 14"		***	***	*** ***
➢ 15"				
➢ 20"				***
➢ 21" पारंपरिक				***
➢ 21" फ्लेट				***
➢ 29"				

40. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में तद्नुरूपी और उस सीमा तक गिरावट आई है, जितनी कि आयातों के पहुंच कीमत में हुई है । कीमत में अत्यधिक गिरावट हुई है जिससे घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत से काफी कम कीमत पर उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है ।

41. उपर्युक्त पर विचार करते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटित आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है । इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है । यद्यपि कच्ची सामग्री की लागत में गिरावट आई थी तथापि बिक्री कीमत में गिरावट कच्ची सामग्री की लागत में आई गिरावट से काफी अधिक थी । इस प्रकार संबद्ध देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमत कम करने के लिए बाध्य हुआ । कीमत में ऐसी गिरावट काफी अधिक और वास्तविक थी ।

अन्य क्षति मापदंडों की जांच

42. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों और आयात की मात्रा एवं मूल्य के प्रभाव, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के साथ-साथ विभिन्न खंडों के बाजार हिस्से सहित मांग की पद्धति जैसे विभिन्न संकेतकों की जांच करने के बाद जिन अन्य आर्थिक मापदंडों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है उनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :-

लाभ

	2005-06	2006-07	2007-08	जुलाई 07 से जून 08
उत्पादन की औसत लागत (रू/नग)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	107	101	101
औसत बिक्री कीमत (रू/नग)	***	***	***	***

सूचीबद्ध	100	88	74	74
प्रति नग लाभ एवं हानि (रू/नग))	***	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	100	-32	-101	-108
घरेलू बिक्री से कुल लाभ/हानि (लाख रूपए)	***	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	100	(48)	(159)	(174)

43. यह देखा जाता है कि इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है । इसके विपरीत घरेलू उद्योग की पूर्व में अच्छी लाभप्रदता रही थी (आयात पिछले कई वर्षों से घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं)। तथापि, क्षति अवधि के दौरान स्थिति अत्यधिक खराब हो गई जब घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण तेजी से गिरावट आई । परिणामत: घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटा हुआ ।

44. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के लिए ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व लाभ का निर्धारण किया । स्थिति निम्नानुसार है :-

लाख रूपए में

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	जुलाई 07 से जून 08
कर पूर्व लाभ	***	(***)	(***)	(***)
सूचीबद्ध	100	-48	-159	-174
सूचीबद्ध	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	153	127	128
मूल्य ह्रास	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	151	170	181
ब्याज तथा मूल्यह्रास का योग	***	***	***	***
ब्याज एवं मूल्यह्रास में वृद्धि (2004-05 की तुलना में) सूचीबद्ध	100.00	151.93	148.71	154.03
ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	100.00	36.08	(29.67)	(36.40)
ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व लाभ में गिरावट (2005-06 की तुलना में)	-	(63.92)	(129.67)	(136.40)

45. उपर्युक्त से यह देखा जाता है कि यदि कंपनी की ब्याज एवं मूल्यह्रास लागत आधार वर्ष के समान ही रही होती तो, लाभ में भारी गिरावट आई होती । उपर्युक्त से यह भी देखा जाता है कि ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व लाभ में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरावट प्रदर्शित होती है ।

निवेश पर आय और नकद प्रवाह

	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
लगाई गई पूंजी पर आय (%)	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	100.00	3.89	(58.46)	(67.83)
नकद लाभ (लाख रुपए)	***	***	(***)	(***)
सूचीबद्ध	100.00	4.97	(71.50)	(80.08)

46. यह देखा जाता है कि समूची क्षति अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट आई है । वर्ष 2006-07 तक लगाई गई पूंजी पर आय सकारात्मक रही थी । तथापि, यह वर्ष 2007-08 से ऋणात्मक हो गई और यह स्थिति जांच अवधि में और अधिक खराब हो गई ।

47. जहां तक नकद प्रवाह का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह में तेजी से गिरावट आई है । घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान सकारात्मक नकद प्रवाह की स्थिति से ऋणात्मक नकद प्रवाह की स्थिति में आ गया । प्राधिकारी ने सीपीटी के उत्पादन और बिक्री के संबंध में नकद लाभ की स्थिति की भी जांच की । यह देखा गया कि नकद लाभ में भी इसी स्थिति का पता चलता है । पूर्ववर्ती वर्षों में नकद लाभ सकारात्मक है और यह जांच अवधि में ऋणात्मक बन गया ।

मालसूची

मात्रा 000 नग में

मालसूची	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
अथ मालसूची	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	163	65	101
इति मालसूची	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	40	53	32
औसत मालसूची	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	87	58	58

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का सामान्यत: उत्पादन पुष्टिकृत ऑर्डरों पर किया जाता है । अत: घरेलू उद्योग के पास मालसूची सामान्यत: पुष्टिकृत ऑर्डरों के संबंध में रहेगी ।

उत्पादकता

आंकड़े 000 में

	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (प्रति कर्मचारी नगों की संख्या)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	103	120	108
प्रति दिवस उत्पादकता	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	123	121	118

49. यह देखा जाता है कि वर्ष 2007-08 तक सुधार होने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई ।

रोजगार तथा मजदूरी

	2005-06	2006-07	2007-08	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	119	101	101
मजदूरी (लाख रूपए में)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	159	226	216
प्रति कर्मचारी मजदूरी (लाख रूपए में)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	134	224	214

50. यह देखा जाता है कि रोजगार के स्तर में गिरावट आई है । यह गिरावट संविदा श्रमिकों के स्तर में कमी के कारण आई है । प्रति कर्मचारी औसत मजदूरी वृद्धि में भी आधार वर्ष की तुलना में दोगुनी वृद्धि हुई है ।

वृद्धि

51. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर विचार करते हुए यद्यपि मांग, घरेलू उद्योग की बिक्री, क्षमता तथा उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई थी, तथापि क्षमता उपयोग, अंशदान मार्जिन, लाभप्रदता, नकद प्रवाह तथा निवेश पर आय के संबंध में वृद्धि ऋणात्मक रही थी ।

क्षति संबंधी निष्कर्ष :

52. उपर्युक्त क्षति मापदंडों की जांच से यह पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान मांग में 63% की वृद्धि हुई थी । मांग में समग्रत: पर्याप्त वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की

क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई । तथापि, बिक्री में वृद्धि मांग में हुई वृद्धि से काफी कम रही थी । परिणामत: क्षमता उपयोग में घाटा हुआ । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात वर्ष 2005-06 में *** लाख नग से बढ़कर जांच अवधि में *** लाख नग हो गए । मांग के संबंध में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 0.08% से बढ़कर जांच अवधि में 3.99% हो गया जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई । यह बाजार में बेची जा रही सीपीटी के विभिन्न आकारों की कीमत में सतत गिरावट थी । कीमत में यह गिरावट का निवारण लागत में आई गिरावट से नहीं हो सका । परिणामत: निर्यातक ने क्षति अवधि में अपनी कीमतों में सतत कमी की और घरेलू उद्योग समूची अवधि में अपनी कीमतों में लगातार कमी करने के लिए बाध्य हुआ । परिणामत: घरेलू उद्योग की कीमत में उपर्युक्तानुसार भारी कमी की गई । कीमत में अत्यधिक ह्रास के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निवेश पर आय और नकद प्रवाह की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई । घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा हुआ, निवेश पर ऋणात्मक आय प्राप्त हुई, नकद प्रवाह और नकद लाभ ऋणात्मक रहा । प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई । यह गिरावट अत्यधिक और वास्तविक थी । इस प्रकार विभिन्न मापदंडों से सामूहिक और संचयी रूप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

कारणात्मक संबंध

53. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के बारे में अपना निष्कर्ष निकालने के लिए और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार तथा यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ़ अधिनियम के नियम 11 के अंतर्गत अनुबंध-II के पैरा V के अनुसार प्राधिकारी ने समस्त ज्ञात कारकों के प्रभाव और घरेलू उद्योग की स्थिति पर उनके परिणामों की जांच की । पाटित आयातों से भिन्न ज्ञात कारकों, जिनसे साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती है, की जांच भी की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन अन्य कारकों से हुई संभावित क्षति पाटित आयातों से नहीं हुई है ।

अन्य ज्ञात कारकों की जांच

अन्य स्त्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमत

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कुल आयातों में से अन्य देशों से आयात की मात्रा 39.48% रही है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से हुए आयातों पर पहले से ही अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू है जिसकी समानांतर जांच में चीन, कोरिया, मलेशिया और थाइलैंड शामिल हैं ।

मांग में कमी और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में मांग में कोई कमी नहीं आई है । इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की समग्र मांग में पर्याप्त सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में 63% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है । घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत पद्धति में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके ।

विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु का एकमात्र बाजार है जहां संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं । सीपीटी के विभिन्न प्रकारों के आयात की बिक्री उसी बाजार में की जा रही है जहां घरेलू उद्योग सीपीटी की बिक्री कर रहा है ।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में प्रचलित प्रतिबंधात्मक व्यवहार का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके, जैसा कि प्राधिकारी की जानकारी में लाया गया है ।

प्रौद्योगिकी विकास

58. रिकॉर्डों की जांच के आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक संगत कारक रहा है ।

निर्यात निष्पादन

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में गिरावट आई है । तथापि, विभिन्न क्षति संकेतकों के संबंध में निष्पादन का निर्धारण केवल घरलू उद्योग के बारे में किया गया है ।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

60. प्रति कर्मचारी उत्पादन के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

61. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के परिणामस्वरूप कीमत में

आई गिरावट की तुलना में अत्यधिक नगण्य है । घरेलू उद्योग की स्थिति में क्षति अवधि के दौरान वास्तविक गिरावट आई है जो पाटित आयातों के कारण अत्यंत खराब हुई है । प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

क्षति मार्जिन की मात्रा

62. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । संबद्ध देश से निर्यातों की भारित औसत पहुंच कीमत तथा क्षति मार्जिन का आकलन निम्नानुसार किया गया है :-

क्षतिमार्जिन की गणना

पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इंडोनेशिया

कंपनी कोड	इकाई	***	***	***	***	***	***
माप		14 सीवी	20 सीवी	21 एसयूएस	21 आरएफ	21 आरएफ	21 यूएस
क्षति मार्जिन %		5-10	15-20	10-15	15-20	12-17	7-12

निष्कर्ष

63. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

क. संबद्ध देश से भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है ।

ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

ग. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है ।

भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

64. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है । तथापि पाटनरोधी उपायों के कारण भारतीय बाजार में

उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन पद्धतियों के कारण हुआ अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी । उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो अथवा इससे अधिक स्रोत रख सकेंगे ।

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आम तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त कराना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं होंगे, अत: उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सिफारिशें

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच प्रारंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था और पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । निर्धारित नियमों के अनुसार पाटन, क्षति तथा इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने और प्रारंभिक जांच करने तथा संबद्ध देशों के विरूद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन के साथ-साथ ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को स्थापित करने के बाद प्राधिकारी का यह अभिमत है कि जांच पूरी होने तक पाटन तथा परिणामी क्षति को हतोत्साहित करने के लिए आंतिम शुल्क लगाना अपेक्षित है ।

67. अत: प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और नीचे दिए गए रूप तथा पद्धति से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ।

68. कम शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से जो कम हो, उसके समतुल्य अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, ताकि इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित समस्त आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो सके । तद्नुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से नीचे दी गई तालिका के कालम 9 में उल्लिखित राशि और आयातों के पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात 14, 20 तथा 21 इंच के खंड में किए गए थे, तथापि घरेलू उद्योग द्वारा भी 15 और 29 इंचों के आकार का उत्पादन किया जा रहा है । आकार में अंतर के अलावा इस उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद, जो अलग-अलग आकारों की सीपीटी है, से अत्यंत मिलजी-जुलती विशेषताएं हैं । तद्नुसार, आकार 15 के मामले में आकार 14 और आकार 29 के मामले में आकार 21 की क्षतिरहित

कीमत का समायोजन करने के बाद आकार 15 और 29 की संदर्भ कीमत की भी अनंतिम रूप से सिफारिश की गई है ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वस्तु का विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	इंचों में विनिर्देशन	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	854011	रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	14"	19.63	प्रति नग	अम.डॉ.
2.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	अन्य कोई	अन्य कोई	14"	19.69	प्रति नग	अम.डॉ.
3.	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	कोई	14"	19.69	प्रति नग	अम.डॉ.
4.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	20"	32.61	प्रति नग	अम.डॉ.
5	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	अन्य कोई	अन्य कोई	20"	32.70	प्रति नग	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	कोई	20"	32.70	प्रति नग	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	21"	39.16	प्रति नग	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	अन्य कोई	अन्य कोई	21"	47.42	प्रति नग	अम.डॉ.
9	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	कोई	21"	47.42	प्रति नग	अम.डॉ.
10	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	15"	36.59	प्रति नग	अम.डॉ.
11	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	अन्य कोई	अन्य कोई	15"	30.65	प्रति नग	अम.डॉ.
12	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	कोई	15"	30.65	प्रति नग	अम.डॉ.
13	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	पीटी एलजी इलेक्ट्रोनिक्स	29"	102.54	प्रति नग	अम.डॉ.
14	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	अन्य कोई	अन्य कोई	29"	119.81	प्रति नग	अम.डॉ.
15	-वही-	-वही-	कोई	इंडोनेशिया	कोई	कोई	29"	110.81	प्रति नग	अम.डॉ.

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत आकलित निर्धारणीय मूल्य से है और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3,3क,8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लागू शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल हैं;

आगे की प्रक्रिया

69. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

क. प्राधिकारी समस्त हितबद्ध पार्टियों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;

ख. प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, आयातकों, आवेदकों और संबंधित समझी जाने वाली ज्ञात अन्य हितबद्ध पार्टियों को अलग से लिखा जा रहा है, जो इस पत्र के प्रेषण की तारीख

से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी इस जांच परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत करा सकती है;

ग. प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे और सत्यापन किया जाएगा;

घ. प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2008

Preliminary Findings

Subject : Anti-Dumping Investigations concerning imports of Cathode Ray Colour Television Picture Tubes originating in or exported from Indonesia.

No. 14/15/2008-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof.

2. WHEREAS M/s Samtel Color Limited (hereinafter referred to as the applicant) filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes originating in or exported from Indonesia and have requested for initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties on the subject goods.

3. AND WHEREAS, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, after examination of the same with regard to adequacy and accuracy, issued a public notice dated 15th September, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Rules to determine existence, degree and effect of alleged dumping and the need to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PROCEDURE

4. Procedure described below has been followed with regard to this investigation by the Authority.

(i) The Authority notified the Embassy of subject country in India about the receipt of dumping application made by the applicants before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

(ii) The Authority sent copies of initiation notification dated 15th September 2008 to the Embassy of the subject country in India, known exporter from the subject country, importers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

(iii) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporter and to the Embassy of Indonesia in accordance with Rule 6 supra.

(iv) The Embassy of Indonesia in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6 with a request to advise the exporter/ producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letters and questionnaire sent to the exporter/producers was also sent to them, alongwith the names and addresses of the exporter.

(v) The Authority sent questionnaire, to elicit relevant information to the following known exporter in subject country in accordance with Rule 6(4);

PT LG Electronics Indonesia
Kawasan Industri MM 2100 Blok G Cibitung
Bekasi Bekasi 11111

(vi) Following exporter/producer has responded to the exporter's questionnaire in a substantial manner and notice of initiation:

PT LG Electronics Indonesia
Kawasan Industri MM 2100 Blok G Cikarang Barat-Bekasi 17520.

The exporter requested for extension of time for submission of response which was granted to them.

(vii) Questionnaires were sent to following known importers and users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

a) Dixon Utilities & Exports Limited
B-14, Phase – Ii, Noida – 201305 (U.P.)

b) LG Electronics India Pvt. Ltd.

Plot No. 51, Udyog Vihar,
Surajpur-Kasna Road,
Greater Noida (U.P.)

c) Panasonic Avc Networks India Co. Ltd.
C-52, Phase – Ii,
Noida – 201305 (U.P.)

d) Mirc Electronics Limited
Onida House, G-1, Midc,
Mahakali Caves Road,
Andheri (East)
Mumbai – 400093

e) Samsung India Electronics Pvt. Ltd.
B-1, Sector-81,
Phase – Ii,
Noida – 201305 (U.P.)

f) Videocon International Ltd.
14 Kms. Stone,
Aurangabad-Paithan Road, Chitegaon,
Tq. Paithan,
Dist. Aurangabad - 431105

g) Philips Electronics India Ltd.
Plot 80, Bhosari Indutrial Estate,
P.B.12,
Pune – 411026

ix) In response to the above notification, M/s CEAMA and LG Electronic India Ltd requested for extension of time for submission of their response which was granted till 30.11.2008. From amongst importers, Mirc Electronics Ltd and Panasonic AVC Networks India Co. Ltd have filed their responses. However, no response was received from LG Electronics India Ltd.

(x) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and for the period of investigations;

(xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

(xii) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. For the purpose, domestic industry was directed to provide its cost of production duly certified by a practicing cost accountant.

(xiii) *** in this Notification represents information furnished by the applicant on confidential basis and so considered by Authority under the Rules;

(xiv) The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st July, 2007 to 30th June, 2008 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the period from 1st April 2005 to the end of the POI.

(xv) The Authority provided opportunity to the importers/ industrial users of the product under consideration to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.

(xvi) The Authority satisfied itself with regard to accuracy of the information provided by the interested parties to the extent considered necessary at this stage.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product under consideration is "complete or incomplete cathode ray colour television picture tubes", more elaborately described as "thermionic, cold cathode or photo cathode valves and tubes such as vacuum or vapor or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, also called cathode ray tubes, television camera tubes or cathode ray colour television picture tubes, or colour television picture tubes, or colour picture tubes etc." and has been referred to as colour picture tubes or "CPT" or "CRT" in this notification. Video and computer monitor cathode ray tubes are beyond the scope of the present petition.

6. The subject goods fall under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975 under subheading no. 8540.11. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigate

7. The applicants have claimed that goods produced by them are like article to the goods originating in or exported from Indonesia. The imported product is also used by same category of consumers. The product contains the same basic technical properties and has the same functions & uses.

DOMESTIC INDUSTRY

8. Rule 2(b) defines domestic industry as under:-

(b) "Domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporter or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry:

9. The application has been filed by Samtel Color Limited. The petitioner has provided information relevant to the present investigations. The subject goods are also produced by JCT, Hotline and BPL Display Devices Limited. M/s Hotline and BPL discontinued their production during the last quarter of POI.

10. After detailed preliminary investigations, the Authority notes that (a) production of the Samtel Color Limited constitutes a major proportion in Indian production (b) Production of the petitioner constitutes more than 50% of Indian production (c) the application has been supported by more than 50% of Indian production, (d) the application was made by or on behalf of the domestic industry. Further, Samtel Color Limited constitutes domestic industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) for the purpose of the present findings.

NORMAL VALUE

Normal Value for PT LG Electronics Indonesia

11. M/s PT LG Electronics, the exporter from Indonesia responded as per the requirements of the exporters' questionnaire. Certain queries on these submissions were communicated to the exporter. For arriving at the Normal value, the domestic sales of corresponding sizes of the company was subjected to the ordinary course of trade test (OCT) by comparing with the respective cost of production. On this basis, the normal value has been arrived at in respect of the sizes exported. Of the three sizes exported to India, normal value in respect of one of the size has been based on total sales in the domestic market, of another based on cost plus reasonable profit in the domestic market and for the third based on the profitable sales in the domestic market.

12. The normal value being country specific, the one arrived at in respect of M/s PT LG Electronics Indonesia, the cooperating exporter has been adopted for the residual category as well.

EXPORT PRICE:

Export Price for PT LG Electronics Indonesia

13. It was seen that some of the export transactions were on FOB and DDU basis. These have been converted to CIF by adjusting expense on account of ocean freight. Other individual adjustments from the export price, as claimed (subject to verification) have been allowed provisionally.

14. The lowest export price in respect of the cooperating exporter has been considered for determination of the net export price in respect of the residual category after allowing adjustments at par with those allowed for the cooperating exporter.

DUMPING MARGIN

15. The Authority has determined both the normal value and export price at ex-factory level, separately for each size. Cumulative dumping margin has been determined considering the associated volumes. Thus, the Authority considers that the comparison made constitutes a fair comparison. Considering the normal value and export price determined as detailed above, dumping margin has been determined provisionally, which comes as under:-

PT LG Electronics Indonesia

Company Code	***	***	***	***	***	***	Total
Size	14 CV	20 CV	21 SUS	21 RF	21 RF	21 US	
Quantity (Pcs.)	***	***	***	***	***	***	***
Normal Value (US$)	***	***	***	***	***	***	
Net Export Price (US$)	***	***	***	***	***	***	
Dumping Margin (US$)	***	***	***	***	***	***	***
DM%	20-25	25-30	1-5	10-15	5-10	Negative	8-13

METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

Views of the domestic industry

16. The followings are the views of domestic industry:-

(a) Foreign producers kept reducing their prices consistently over the injury period;

(b) Indonesian producer joined other foreign producers, by offering prices lower than the prices prevailing at the time of previous investigation POI;

(c) The domestic industry has been forced to reduce its prices consistently throughout the period;

(d) Even though imports from Indonesia have started only recently, the same were significant during the proposed POI;

(e) Imports are significantly depressing the prices of the domestic industry in the market;

(f) As a result of significant price depression, contribution margin steeply declined;

(g) As a result of price depression and resultant decline in contribution, situation of the domestic industry with regard to profit, return on investments and cash flow significantly deteriorated. The domestic industry suffered huge financial losses and negative return on investment;

(h) So serious has been the impact of the dumping that the overall financial situation of the Company has significantly deteriorated;

(i) Imports have increased in absolute terms as also related to production and consumption in India;

(j) Even though production of the domestic industry increased upto 2006-07, the same has declined in proposed POI;

(k) Even though the sales volumes of the domestic industry have increased, the increase is far lower than the increase in demand, even when the domestic industry is saddled with unutilized capacities;

(l) Capacity utilization of the domestic industry has declined;

(m) Market share of domestic industry increased till 2006-07, but declined very steeply thereafter with significant increase in imports in that period.

17. It has thus been pleaded that the performance of the domestic industry has declined over the injury period and the dumped imports of subject goods are causing severe material injury to the domestic industry. The deterioration in the performance during the current period is quite significant and material.

18. Considering various injury parameters, it has been claimed by the domestic industry that the performance of the domestic industry has declined over the injury period and the dumped imports of subject goods are causing severe material injury to the domestic industry. The deterioration in the performance during the current period has

been claimed to be quite significant and material. Increase in imports is stated to have led to increase in market share of imports. As a direct consequence, market share of domestic industry, it has been claimed, could not increase as a result of increase in demand. On the contrary, the market share of the domestic industry is claimed to have declined significantly in the POI. Further, significant decline in the market share in the proposed POI is claimed to have led to significant under utilization of production capacities. Decline in import price is claimed to have forced the domestic industry to reduce the prices, which in turn led to significant erosion in profit margin and consequent deterioration in profit/loss, return on investments and cash flow.

Views of other interested parties

19. No views have been given by any interested party other than the domestic industry.

Examination by the Authority

20. Article 3.1 of the ADA and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

21. For the purpose of injury analysis the Authority has cumulatively examined effect of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on production, capacity utilization, sales, prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

22. Since positive dumping margins have been established for the exports from the subject country, therefore, entire exports from the subject country have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal link examination.

VOLUME EFFECT:

Volume Effect of dumped imports and impact on domestic Industry

23. The Authority has procured transaction wise imports information from the DGCI&S. Information provided by the responding exporter, importers/ consumers,

DGCI&S information and information in the petition was correlated and the position is as follows –

Pcs

Particulars	POI
As per exporter's response from Indonesia.	***
As per importers' response.	
Mirc India	***
Panasonic	***
Total as per importers' responses	***
As per petition	***

24. The Authority notes that the actual volume of imports reported by the responding exporter is far more than the volume of imports reported in the statistics made available by either the importers or the petitioner. The information provided by DGC&IS is also for the financial year 2007-08, without the import figures for the period April to June 2008, which is a part of POI, hence not comparable. The Authority has therefore considered the volume of imports as reported by the responding exporter for carrying out volume analysis.

Import volumes and Share of subject country

25. The volume of dumped imports of subject product from subject country is given in the table below.

Particulars	2005-06	2006-07	2007-08	July 07 to June 08
Import volumes (in '000 pcs)				
Subject country	***	***	***	***
Other countries	***	***	***	***
Total Imports	***	***	***	***
Market Share in Imports (%)				
Subject country	0.37	0.92	2.93	9.17
Other Countries	99.61	99.06	97.07	90.83
Production	***	***	***	***
Subject Import in relation to Production	0.16	0.46	3.24	10.89

26. The Authority provisionally holds that imports from subject country increased significantly over the period in absolute terms, in relation to imports into India and in relation to production in India. At the same time, imports from other countries declined.

Demand and market share

27. Petitioner has defined, for the purpose of the present petition, demand or consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the domestic

producers and imports from all sources. It would be seen that demand of the product in the country shows positive growth in the current period.

In 000 pcs

	2005-06	2006-07	2007-08	July 07 to June 08
Demand in India	10,671	12,481	16728	17432
□ Sales of domestic industry	***	***	***	***
Trends	100	149	157	161
□ Sales of other Indian producers	***	***	***	***
Trends	100	78	79	83
□ Imports from subject country	***	***	***	***
Trends	100	344	2356	7722
□ Other country imports	***	***	***	***
Trends	100	142	302	296
□ Total Imports in India	***	***	***	***
Trends	100	142	309	324
Market Share %				
□ Domestic industry	***	***	***	***
Indexed	100	127	100	99
□ Other Indian producers	***	***	***	***
Indexed	100	67	50	51
□ Subject country	***	***	***	***
	100	300	1588	4988
Other countries	***	***	***	***
Indexed	100	121	192	181
Total share of Domestic Producers	***	***	***	***
Indexed	100	94	73	72

28. The Authority notes that demand for the subject goods had been growing from base year to POI. It grew by about 63% over injury period.

29. The Authority provisionally concludes that the market share of dumped imports increased significantly over the relevant period, resulting in decline in the market share of the Indian industry, thereby showing adverse volume effect.

Production, Sales Volume and Capacity Utilization of the Domestic Industry

30. The position is as follows:

In 000 Pcs

Particulars	2005-06	2006-07	2007-08	July 07 to June08
Capacity	***	***	***	***
Indexed	100	139	157	157
Production	***	***	***	***
Indexed	100	123	121	118
Capacity utilization%	***	***	***	***
Sales *	***	***	***	***
Indexed	100	126	120	119
Demand	10,671	12,481	16,728	17,432

*Sales include Domestic and Exports for M/s Samtel.

31. It is noted that capacity, production and sales volumes of the domestic industry increased in response to increase in demand. While the capacity increased by *** lac pieces, production increased only by ***lac pieces, even though demand increased by ***lac pieces. Domestic industry faced decline in capacity utilization in spite of existing demand in the Country.

Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry

32. With regard to the effect of dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18, the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of like product in India or whether effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred to a significant degree.

33. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country have been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

Evaluation of price over period under consideration

34. The Authority examined the trend of import prices over the injury period, separately for each size and cumulatively for subject country. The relevant information is as shown below –

Rs. Per Pc.

CIF import price	2005-06	2006-07	2007-08	POI	Decline in prices
14"		***	***	***	38%
15"					
20"		***	***	***	25%
21"	***	***	***	***	11%
21" flat	***	***	***	***	36%
21" slim			***	***	23%
29"	***		***		

35. CIF import price of the subject goods from the subject country have declined over the injury period. The price declines have ranged from 11% to 38%. In respect of high volume types (14" and 21" flat) the prices declined by up to 36 % respectively.

36. The Authority examined whether the above price decline could be linked to the decline in cost of production. The Authority notes that whereas the exporter has not provided relevant information in this respect, the domestic industry has provided information for the entire period. It is noted that even though there were declines in cost of production as well, the above declines are far more than the declines in cost of production.

Price undercutting

37. In order to determine price undercutting, Authority examined the responses filed by the exporter and importers/users. For the purpose, each type of CPT has been compared separately. Price undercutting for each type and thereafter weighted average for CPT as a whole has been determined which on a volume of ***pcs comes to Rs ***per pc. The Authority notes that the price undercutting is 7-12%.

38. In view of the above, the Authority provisionally concludes that selling price of the domestic industry have declined over the period, reasons for which is decline in the landed price of imports.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

39. In order to examine whether the imports were depressing or suppressing the prices of the domestic industry, the Authority has examined the trends in raw material costs and selling price. The relevant position is as follows –

Indian rupees

	2005-06	2006-07	2007-08	July 07 to June08
Raw materials costs				
➢ 14"	***	***	***	***

➢ Indexed	100	97	95	96
➢ 15"		***	***	***
➢ Indexed		100	96	96
➢ 20"	***	***	***	***
➢ Indexed	100	99	100	100
➢ 21" conventional	***	***	***	***
➢ Indexed	100	96	113	112
➢ 21" Flat	***	***	***	***
➢ Indexed	100	88	84	84
➢ 29"		***	***	***
➢ Indexed		100	107	111
Selling price				
➢ 14"	***	***	**	***
➢ Indexed	100	87	76	77
➢ 15"		***	***	***
➢ Indexed		100	85	85
➢ 20"	***	***	***	***
➢ Indexed	100	90	84	85
➢ 21" conventional	***	***	***	***
➢ Indexed	100	89	82	85
➢ 21" Flat	***	***	***	***
➢ Indexed	100	79	72	74
➢ 29"		***	***	***
Landed price of imports				
➢ 14"				***
➢ 15"				
➢ 20"				***
➢ 21" conventional				***
➢ 21" Flat				***
➢ 29"				

40. The selling prices of the domestic industry have declined in the same direction and to the same extent as that of landed price of imports. The price decline has been significant forcing the domestic industry in selling the product significantly below the cost of production during the investigation period.

41. Considering the above, the Authority provisionally concludes that there has been a significant increase in the dumped imports, both in absolute terms and relative to production and consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority notes that there has been significant decline in the landed price of imports. As a direct consequence, the selling price of the domestic industry declined significantly over the injury period. Even though there was decline in raw materials costs,

the decline in the selling prices were far more than decline in the raw materials costs. The imports from subject country thus forced the domestic industry to reduce the prices. Such price decline was significant and material.

Examination of other Injury Parameters

42. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analyzed hereunder.

Profits

	2005-06	2006-07	2007-08	July 07 to June08
Average cost of production (Rs/Pc)	***	***	***	***
Indexed	100	107	101	101
Average selling price (Rs/Pc)	***	***	***	***
Indexed	100	88	74	74
Profit & Loss per pc (Rs/Pc)	***	(***)	(***)	(***)
Indexed	100	-32	-101	-108
Total profit/ loss from domestic sales (Rs Lacs)	***	(***)	(***)	(***)
Index	100	(48)	(159)	(174)

43. It is seen that profitability of the domestic industry has severely declined over the years. Not that the domestic industry was having good profitability earlier (imports have been competing with the domestic industry for past several years). However, situation has significantly deteriorated over the injury period, when the domestic industry's profitability steeply declined due to dumped import form the subject country. Resultantly, the domestic industry faced significant financial losses.

44. The Authority ascertained profit before interest & depreciation for the petitioner. The position is as follows.

Rs. In lacs

Particulars	2005-06	2006-07	2007-08	July 07 to June08
Profit before tax	***	(***)	(***)	(***)
Indexed	100	-48	-159	-174
Interest	***	***	***	***
Indexed	100	153	127	128
Depreciation	***	***	***	***
Indexed	100	151	170	181

Total of interest & depreciation	***	***	***	***
Increase in interest & depreciation (as compared to 2004-05) Indexed	100.00	151.93	148.71	154.03
Profit before interest & depreciation	***	***	(***)	(***)
Index	100.00	36.08	(29.67)	(36.40)
Decline in profit before interest & depreciation (as compared to 2005-06)	-	(63.92)	(129.67)	(136.40)

45. It is seen from the above that even if interest & depreciation costs of the company would have been same as in the base year, its profits would have significantly declined. It is also seen from the above that profit before interest & depreciation showed a marked decline over the injury period.

Return on investment and cash flow

	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Return on capital employed (%)	***	***	(***)	(***)
Indexed	100.00	3.89	(58.46)	(67.83)
Cash profit (Rs. Lacs)	***	***	(***)	(***)
Indexed	100.00	4.97	(71.50)	(80.08)

46. It is seen that return on capital employed and cash flow deteriorated throughout the injury period. Return on capital employed was positive up to 2006-07. The same however became negative from 2007-08 and the position deteriorated further in the investigation period.

47. With regard to cash flow, the Authority notes that the cash flow of the domestic industry declined steeply. From a situation of positive cash flow, the domestic industry was faced with a negative cash flow in the investigation period. The Authority also examined the position of cash profits with regard to production and sale of CPT. It was seen that the cash profits also show the same situation. Cash profits were positive in the earlier years and became negative in the investigation period.

Inventories

Volume in '000 pcs

Inventories	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Opening Inventories	***	***	***	***
Indexed	100	163	65	101
Closing Inventories	***	***	***	***
Indexed	100	40	53	32
Average Inventories	***	***	***	***
Indexed	100	87	58	58

48. The Authority notes that the subject goods are normally produced against confirmed orders. Therefore, the inventories with the domestic industry would normally be in respect of the confirmed orders.

Productivity

Fig. in '000

	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Productivity per employee (no. of pieces per employee)	***	***	***	***
Indexed	100	103	120	108
Productivity per day	***	***	***	***
Indexed	100	123	121	118

49. It is seen that productivity of the domestic industry decreased after improving up to year 2007-08.

Employment & wages

	2005-06	2006-07	2007-08	POI
Number of employee (nos.)	***	***	***	***
Indexed	100	119	101	101
Wages (Rs. In Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	159	226	216
Wages per employee (Rs. Lacs)	***	***	***	***
Indexed	100	134	224	214

50. It is seen that employment level has decreased. This has been due to reduction in the level of contractual labour. The average wage increase per employee has almost doubled in comparison to the base year.

Growth

51. Considering various economic parameters of the domestic industry, even though there was positive growth in demand, sales, capacity, and production of the domestic industry, the growth with regard to capacity utilisation, contribution margin, profitability, cash flow and return on investment was negative.

Conclusion on injury:

52. The examination of above injury parameters indicates that growth in demand was 63% over the injury period. Given significant overall growth in demand, capacity, production and sales of the domestic industry increased. However, the increase in sales was far lower than the increase in the demand. Resultantly, the capacity utilization suffered. Imports of subject goods from subject country increased significantly from

***lac pcs. in 2005-06 to ***lac pcs during POI. The share of the imports from subject country in relation to demand increased from 0.08% in 2005-06 to 3.99% during POI whereas market share of Indian industry declined. There was consistent decline in the prices of various sizes of CPT being sold in the market. These price declines are not fully addressed by the decline in the costs. As a result of exporter reducing their prices consistently over the injury period, the domestic industry was forced to reduce its prices consistently throughout the period. Resultantly, the prices of the domestic industry declined to a significant extent as explained above. As a result of significant price depression, profit, returns on investments and cash flow situation of the domestic industry significantly deteriorated. The domestic industry suffered huge financial losses, negative return on investment, negative cash flow and negative cash profits. The Authority provisionally concludes that the performance of the domestic industry deteriorated significantly in terms of profit, return on investments and cash flow. The declines were significant and material. Thus various parameters collectively and cumulatively show that the domestic industry has suffered material injury.

CAUSAL LINK

53. In order to reach its conclusions on the cause of the injury suffered by domestic industry and in accordance with Article 3.5 of Agreement on Anti-Dumping and as per Para (v) of Annexure-II under Rule 11 under Customs Tariff Act as amended, the Authority examined the impact of all known factors and their consequences on the situation of the domestic industry. Known factors other than dumped imports, which could at the same time have injured the domestic industry were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.

Examination of Other Known Factors

Volume and prices of imports from other sources

54. The Authority notes that out of total imports, the volumes of imports from other countries are 39.48% during POI. The Authority notes that the imports from other countries are already subject to provisional anti dumping duty in a parallel investigation covering China, Korea, Malaysia and Thailand.

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

55. The Authority notes that there is no contraction in the demand during POI. On the contrary, overall demand for subject goods has shown significant positive growth during the injury period. The demand of subject goods has shown growth of 63% over the injury period. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which could be attributed to the injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

56. The Authority notes that there is a single market for the subject goods where dumped imports from subject country compete directly with the subject goods produced by domestic industry. Imports of various types of CPT are being sold in the same market as CPT being sold by the domestic industry.

57. The Authority notes that no evidence of restricted practice prevalent in the industry, which could be attributed to the injury to the domestic industry, has been brought to the notice of the Authority.

Development in technology

58. On the basis of examination of the records, the Authority provisionally holds that development in technology has not been a relevant factor for the injury to the domestic industry.

Export performance

59. The Authority notes that the export volumes of the domestic industry have declined over the injury period. However, performance with respect to various economic indicators has been determined with respect to domestic sales only. Hence, the Authority provisionally holds that material injury suffered by the domestic industry is not a result of the decline in export performance of the domestic industry.

Productivity of the Domestic Industry

60. Productivity of the domestic industry in terms of production per employee has significantly increased.

Conclusion on Causation

61. In view of the above, the Authority provisionally concludes that injury suffered by the domestic industry due to other factors is far too insignificant as compared to injury suffered because of price decline resulting from dumped imports. The situation of the domestic industry has shown a material deterioration over the injury period, which was substantially due to dumped imports. The Authority provisionally concludes that the domestic industry has suffered material injury due to dumped imports.

Magnitude of Injury Margin

62. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject country and the injury margins have been worked out as follows.

Injury margin calculations

PT LG Electronics Indonesia

Company Code	Unit	***	***	***	***	***	***
Size		14 CV	20 CV	21 SUS	21 RF	21 RF	21 US
Injury Margin %		5-10	15-20	10-15	15-20	12-17	7-12

Conclusions

63. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

a. The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value.

b. The domestic industry has suffered material injury;

c. The injury has been caused by the dumped imports from subject country.

Indian industry's interest & other issues

64. The Authority recognizes that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or even more sources of supply.

65. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

Recommendations

66. The Authority notes that the investigation was initiated, notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporter, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal links. Having initiated and conducted a preliminary investigation into dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry in terms of the Rules laid down and having provisionally established positive dumping margin against the subject country, as well as material injury to the domestic industry caused by such

dumped imports, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury pending completion of the investigation.

67. Therefore, Authority considers it necessary and recommends provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

68. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry in respect of all imports originating in or exported from Indonesia. Accordingly, provisional antidumping duty equal to the difference between the amount indicated in Col 9 of the table below and the landed value is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country. The authority notes that the imports, during the POI, from the subject country was in sizes 14, 20 and 21 inches segment, however the domestic industry is also producing sizes 15 and 29 inches as well. Except the difference in size, the product has the characteristics closely resembling to those of the product under consideration which is CPT of different sizes. Accordingly, the reference price for size 15 and 29 has also been provisionally recommended by adjusting for the differential in non injurious price of size 14 in case of size 15 and of size 21 in case of size 29.

Duty table

Sl No	Sub-Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Specification in inches	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	854011	Colour Television Picture Tubes	Indonesia	Indonesia	PT LG Electronics	PT LG Electronics	14"	19.63	Per Pc	US $
2	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	Any Other	Any Other	14"	19.69	Per Pc.	US$
3	-do-	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	14"	19.69	Per Pc.	US$
4	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	PT LG Electronics	PT LG Electronics	20"	32.61	Per Pc.	US$
5	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	Any other	Any other	20"	32.70	Per Pc.	US$
6	-do-	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	20"	32.70	Per Pc.	US$
7	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	PT LG Electronics	PT LG Electronics	21"	39.16	Per Pc.	US$
8	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	Any other	Any other	21"	47.42	Per Pc.	US$
9	-do-	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	21"	47.42	Per Pc.	US$
10	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	PT LG Electronics	PT LG Electronics	15"	30.59	Per Pc.	US$
11	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	Any other	Any other	15"	30.65	Per Pc.	US$
12	-do-	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	15"	30.65	Per Pc.	US$
13	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	PT LG Electronics	PT LG Electronics	29"	102.54	Per Pc.	US$
14	-do-	-do-	Indonesia	Indonesia	Any other	Any other	29"	110.81	Per Pc.	US$
15	-do-	-do-	Any	Indonesia	Any	Any	29"	110.81	Per Pc.	US$

For the purposes of this notification, "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act;

Further Procedures

69. The following procedure would be followed subsequent to notifying the Preliminary findings:-

a. The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final finding;
b. Exporter, importers, applicants and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of the dispatch of the letter. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;
c. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;
d. The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.